न्यायालय अपर समाहर्त्ता (जिला राजस्व शाखा), गिरिडीह।

पत्रांक 358 / रा. न्या.

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

सेवा में,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

गिरिडीह, दिनांक 15 / 12 / 2018

विषयः LRDC भू–हदबंदी वाद संख्या 46 / 2010–11, 01 / 2011–12 (लालचु रजक बनाम् ठाकुर रजक एवं अन्य) का मूल अभिलेख का प्रेषण।

प्रसंगः आपके पत्रांक 375 / भू0सु0 दिनांक 23.07.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 239 / रा0 दिनांक 07.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ लिया जाय। उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 06.07.2018 की छाया प्रति भेजी गयी है, जिसमें स्पष्ट है कि "निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 28.12.2012 में यह उल्लेखित है कि प्रश्नगत भूमि वर्त्तमान में Homestead के रूप में विकसित हो गया है, परन्तु यह finding किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई हेतु remand किया गया है।" साथ ही उभय पक्ष की सुनवाई के उपरान्त विधि सम्मत आदेश पारित करने का आग्रह किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में LRDC भू–हदबंदी वाद संख्या 46 / 2010–11, 01 / 2011–12 (लालचु रजक बनाम् ठाकुर रजक एवं अन्य) का मूल अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

विश्वासभाजन

अनु0: यथोक्त। मूल अभिलेख अनुलग्नक सहित भू–हदबंदी वाद संख्या 46 / 2010–11, 01 / 2011–12 (लालचु रजक बनाम् ठाकुर रजक एवं अन्य)

अपर समाहर्त्ता,
12/12/18 गिरिडीह।

e:\mamta kumari\cnt\general letter mamta.docx

आदेश की कम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एंव हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
6.7.18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा हाजरी दिया गया है। पुकार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि ceiling Rules के Rule 15 का compliance mandatory है, नहीं कि directory instructions है। पुकार पर उत्तरवादी अनुपस्थित। निम्न न्यायालय दिनांक 28/12/2012 को अवलोकन किया गया। द्वारा पारित आदेश का अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश में यह उल्लेखित है कि Homestead के अन्तर्गत भूमि बन्दोबस्त है, परन्तु यह रूप में विकसित हो गया है, findings किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 28/12/2012 को निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा पुनः सुनवाई हेतु remand किया जाता है। उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त विधि सम्मत आदेश पारित की जाय। [illegible signature] 6/7 अपर समाहर्ता	Seen [illegible] 6/7/18

Digitally signed by BIJAY SINGH BIRUA
Date: 2025.03.03 16:50:50 +05:30
Location: 192.168.101.4